मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–0522–2308502

ईमेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0 / C-2574 / 2013–14 दिनांकः 26 सितम्बर, 2013

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन पकाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि छात्रों को मध्यावकाश में उपलब्ध कराये जाने वाले मध्यान्ह भोजन की शुद्धता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता हेतु प्राधिकरण तथा शासन स्तर से कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि मध्यान्ह भोजन पकाने तथा छात्रों को परोसने के दौरान शिथिलता बरती जा रही है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि छात्रों को दिया जाने वाला भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इस हेतु भोजन पकाने वाली सामग्री यथा नमक, तेल, मसाले आदि को साफ एयरटाइट बर्तनों में रखा जाय तथा अन्य सामग्रियों जैसे डिटर्जेन्ट पाउडर, मिट्टी का तेल, साबुन आदि से अलग एवं पर्याप्त दूरी पर रखा जाय, जिससे कि उनकी गंध भी भोज्य सामग्रियों में न आ सके। साथ ही उनके बर्तनों पर साफ–साफ अक्षरों में सामग्री के नाम का लेबल भी चिपकाया जाय, जिससे कि किसी दशा में उनको भोजन में प्रयोग किये जाने की सम्भावना न रहे।

मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त ही संवेदनशील योजना है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरतने की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः अपेक्षित है कि उक्त तथ्यों का अपने जनपद में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमृता सोनी)
निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
निदेशक

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0—0522—6666192
फोन नं0—0522—2308502

ईमेल—lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक: म0भो0प्रा0/(-2574 /2013—14 दिनांक:26 सितम्बर, 20

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय—**मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन पकाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री हेतु सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ज्ञातत्य है कि छात्रों को मध्यावकाश में उपलब्ध कराये जाने वाले मध्यान्ह भोजन की शुद्धता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता हेतु प्राधिकरण तथा शासन स्तर से कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि मध्यान्ह भोजन पकाने तथा छात्रों को परोसने के दौरान शिथिलता बरती जा रही है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि छात्रों को दिया जाने वाला भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इस हेतु भोजन पकाने वाली सामग्री यथा नमक, तेल, मसाले आदि को साफ एयरटाइट बर्तनों में रखा जाय तथा अन्य सामग्रियों जैसे डिटर्जेन्ट पाउडर, मिट्टी का तेल, साबुन आदि से अलग एवं पर्याप्त दूरी पर रखा जाय, जिससे कि उनकी गंध भी भोज्य सामग्रियों में न आ सके। साथ ही उनके बर्तनों पर साफ—साफ अक्षरों में सामग्री के नाम का लेबल भी चिपकाया जाय, जिससे कि किसी भी दशा में उनको भोजन में प्रयोग किये जाने की सम्भावना न रहे।

मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त ही संवेदनशील योजना है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरतने की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः अपेक्षित है कि उक्त तथ्यों का अपने जनपद में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमृता सोनी)
निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
निदेशक